प्रो0 दीपक नगरिया
● परीक्षा नियंत्रक

डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,लखनऊ)
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ, उ0प्र0-226031

पत्रांक स० : ए०के०टी०यू०/प०नि०का०/2026/2960 दिनांकः 17 जून, 2026

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थायें।

विषयः सत्र 2025-26 के सम सेमेस्टर परीक्षा के रेगुलर छात्र/छात्राओं हेतु चैलेंज मूल्यांकन हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2025-26 के सम सेमेस्टर की परीक्षायें दिनांक 07 मई, 2026 से 11 जून, 2026 के मध्य सम्पन्न कराई गई है। उक्त परीक्षाओं के समस्त पाठ्यक्रमों/विधाओं के अन्तिम वर्ष के प्रतिभाग करने वाले रेगुलर छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम दिनांक 11 जून, 2026 से वन-व्यू पोर्टल पर जारी/घोषित किये जा रहे है।

उपरोक्त के क्रम समस्त पाठ्यक्रमों/विधाओं के अंतिम वर्ष के समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आगामी दीक्षांत समारोह हेतु मेरिट सूची के समयबद्ध निर्धारण को दृष्टिगत रखते हुए Challenge Evaluation हेतु आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में संचालित की जायेगी।

1. **प्रथम चरण** में केवल ऐसे छात्र-छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी CGPA अथवा प्राप्तांक उच्च हैं तथा **जिन्हें यह प्रतीत होता है कि Challenge Evaluation के उपरांत प्राप्तांकों में संभावित संशोधन होने पर उनके विश्वविद्यालय/संस्थान स्तरीय मेरिट सूची में सम्मिलित होने की संभावना है एवं गत् (पूर्व के) सेमेस्टरों मे किसी भी विषय में कैरी ओवर नही आया हो (सम सेमेस्टर 2025-26 को छोड़कर) के अंतिम वर्ष के समस्त पाठ्यक्रमों/विधाओं के परीक्षा परिणाम दिनांक 17 जून, 2026 तक** अथवा उससे पूर्व घोषित हो चुके हैं को **आगामी तीन (03) कार्यदिवसों (20.06.2026)** में ई0आर0पी0 पोर्टल पर ऑन-लाइन शासनादेश के अर्न्तगत नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतिम वर्ष के जिन पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम **दिनांक 17 जून, 2026 के पश्चात् घोषित किए जायेंगे, उनके पात्र छात्र-छात्राएं अपने परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन (03) दिवसों** के भीतर ऑन-लाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, तदोपरान्त परिणामों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा।
2. **द्वितीय चरण** में अन्य सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं से Challenge Evaluation हेतु आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से यथासमय दी जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि आगामी दीक्षांत समारोह हेतु मेरिट सूची का निर्धारण केवल प्रथम चरण के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर सम्पन्न Challenge Evaluation के उपरांत उपलब्ध परिणामों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा। द्वितीय चरण में प्राप्त आवेदनों अथवा उसके फलस्वरूप प्राप्तांक/CGPA में होने वाले किसी भी संशोधन को उक्त मेरिट सूची में सम्मिलित किया जाना सम्भंव नहीं होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि Challenge Evaluation की नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत लागू Stage-I एवं Stage-II संबंधी प्रावधान विश्वविद्यालय की प्रचलित नियमावली/शासनादेश के अनुसार यथावत् प्रभावी रहेंगे।

उक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित ऐसे छात्र/छात्रा जो अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन कराये जाने के इच्छुक हैं, ऐसे छात्र/छात्रा अपने विषय(यो) का चैलेंज मूल्यांकन का फार्म भरने से पूर्व चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 39298/16-1099/17/2020 दिनांक 11 सितम्बर, 2020 के साथ संलग्नक श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या ई-7443/03-जी0एस0/2019(टी0सी0) (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित/वर्णित गाइड लाईन (मानक निर्देश) के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

- **Challenge Evaluation Stage-I** में चैलेंज मूल्यांकन हेतु छात्र को उक्त शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिका देखने के लिए प्रति विषय रू 300/– (तीन सौ) मात्र विश्वविद्यालय में ई0आर0पी0 लॉगिन के माध्यम से ऑन–लाइन आवेदन कर सकते है।
- **Challenge Evaluation Stage-I** में चैलेंज मूल्यांकन हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि के उपरान्त ससमय छात्र की डिजिटल मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिका छात्र के ई0आर0पी0 लॉगिन में उपलब्ध करा दी जायेगी।
- डिजिटल मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिका का अवलोकन/देखते/जांच करने के उपरान्त यदि छात्र असंतुष्ट होता है तो छात्र नियत तिथि तक चैलेन्ज मूल्यांकन हेतु **Challenge Evaluation Stage-II** में निर्धारित शुल्क रू0 2500.00 (दो हजार पॉच सौ) मात्र प्रति विषय की दर से ऑन–लाइन आवेदन कर सकते हैं।
- चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के साथ संलग्न श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या ई–7443/03–जी0एस0/2019(टी0सी0) एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 68वीं बैठक के मद संख्या 68.13 में लिये गये निम्नवत निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी:
  1. **दो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा।**
  2. **यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांको से कम हों अथवा अधिक।**
  3. **यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/– में से रू0 1000/– धनराशि को काटकर शेष धनराशि परीक्षार्थी को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।**

शुल्क वापसी हेतु छात्रों द्वारा बैंक विवरण (Account No., IFSC Code & Bank Name) भरते समय जांच कर लिया जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरण सही भरे गये हैं। यदि छात्र द्वारा गलत बैंक विवरण या किसी अन्य के खाता का विवरण दिया जाता है तो भुगतान में असुविधा के लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः उक्त से अवगत होते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत आच्छादित इच्छुक छात्र–छात्रायें Challenge Evaluation Stage-I हेतु निर्धारित तिथि तक ऑन–लाइन आवेदन कराने हेतु अपने स्तर से भी सूचित करते हुए समयानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नकः यथोक्त।

Deepak Nagaria 17/06/2026

(प्रो0 दीपक नगरिया)
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रतिकुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. संयुक्त/उप परीक्षा नियंत्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. प्रभारी ई0आर0पी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त के सन्दर्भ समयानुसार छात्रों का चैलेंज मूल्यांकन का आवेदन तथा निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
5. स्टाफ आफिसर, कुलपति, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

(प्रो0 दीपक नगरिया)
परीक्षा नियंत्रक

स्पीड पोस्ट/पत्रवाहक

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–226027

संख्या ई–7443/03–जी0एस0/2019(TC)
दिनांक : 26/11/, 2020

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक
समस्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) प्रस्तावित अध्यादेश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस सचिवालय के पत्रांक ई–2129/03–जी0एस0/2019(TC), दिनांक 24–04–2020 का सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम से प्रेषित की गई चुनौती मूल्यांकन की गाईड लाइन दिनांक 22–02–2020 पर आपकी आख्या/अभिमत की मांग की गयी थी, जिस पर प्राप्त कतिपय आख्या/अभिमत पर विचारोपरान्त अन्तिम रूप से तैयार की गयी गाइड लाईन (मानक निर्देश) को प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एक जैसी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न गाइड लाईन (मानक निर्देश) को सभी विश्वविद्यालय/संस्थान उन पर प्रवृत्त विधियों, उपविधियों आदि की व्यवस्था के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करके इस व्यवस्था को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में लागू किये जाने का विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव।

संलग्नकः–यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव।

CoE

चुनौती मूल्यांकन
(Challenge Evaluation)

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरणों में होगा–

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा
2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 300/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में –

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।
2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क –

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 2500/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया –

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों की एक नामावली (panel) संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए।
2. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों द्वारा करवाया जाए।
3. विषय विशेषज्ञ/ परीक्षक को नामित करने का कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए।
4. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/ परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।

5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियां तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में–

1. दोनों विषय विशेषज्ञों / परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा , चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/- में से रू0 1000/- की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में –

1. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।
2. यदि ऐसे परीक्षक के 3(तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के, संबंधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5(पांच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ– साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।